



अनुमण्डल कार्यालय, महाराजगंज

(गोपनीय शाखा)

आम सूचना

विकास मित्र नियोजन हेतु विज्ञापन

दूरभाष - 06153-243491 (कार्यालय) मोबाईल न० - 9473191276

Email: sdo.maharajganj@gmail.com, comaharajganj111@gmail.com

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुरहाट, दरौंदा, लकड़ी नबीगंज एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विकास मित्र के पद पर नियोजन हेतु वर्तमान में रिक्ति निम्नवत् है :-

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	दरौंदा	रसूलपुर	चमार जाति महिला	
2	दरौंदा	जलालपुर	चमार जाति अन्य	
3	लकड़ी नबीगंज	बसौली	मुसहर जाति अन्य	
4	भगवानपुर हाट	बिलासपुर	मुसहर जाति महिला	
5	नगर पंचायत, महाराजगंज	वार्ड समूह 01 से 04	डोम जाति महिला	

प्रस्ताव :-1- मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार पटना के पत्रांक-1586, दिनांक-05.09.2016 के पत्र में अनुलग्नक मार्ग-दर्शिका के आलोक में विकास मित्र के पद पर चयन के लिए अर्हता/योग्यता निम्नवत् होगी :-

- (क)- आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता से होंगे।
 (ख)- जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है, उसी पंचायत के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा।
 (ग)- आवेदक का शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले आवेदक को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :-

- (a)-नन मैट्रिक
 (b)-नवम् वर्ग पास
 (c)-अष्टम् वर्ग पास
 (d)-सप्तम् वर्ग पास
 (e)-शष्टम् वर्ग पास
 (f)-पाँचवा वर्ग पास।

सर्वप्रथम नन मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम में चयन किया जाएगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जाएगा। बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हों तथा उन्हें सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों।

(घ)- आवेदक का उम्र-सीमा दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए।

(ङ)-विकास-मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा नियोजन के पश्चात् उनका चरित्र एवं कार्य असंतोशप्रद होने की स्थिति अनुमण्डल पदाधिकारी या जिला परियोजना पदाधिकारी के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्यवाही जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(च)- संविदा आधारित नियोजन विकास मित्र द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र असत्य पाए जाने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

(छ) विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा।

(ज)- चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी के अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज फर्जी पाए जाने की स्थिति में चयन समिति (विकास-मित्र), महाराजगंज द्वारा उसके नीचे के क्रम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

(झ)- नोडल पदाधिकारी-सह-जिला परियोजना पदाधिकारी (महादलित मिशन) या महादलित विकास मिशन से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में रिक्ति के विज्ञापन में संशोधन/रद्द किया जा सकता है।

(ञ) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में ऑफलाईन माध्यम से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा। आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज अभ्यर्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। आवेदन पत्र के साथ निवास, जाति एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

(ट) आवेदन पत्र केवल हाथों-हाथ ही संबंधित कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन/डाक या किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव :- 2- अनुमण्डलीय चयन समिति विकास मित्र, महाराजगंज की दिनांक-15.03.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार विकास मित्र पद पर नियोजन हेतु समय-सारणी निम्नवत् होगा :-

1	रिक्त स्थानों वाले जगहों पर विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना।	दिनांक-05.04.2023 से दिनांक-28.04.2023 तक
2	मेघा सूची तैयार करना एवं प्रखण्ड/पंचायत में प्रकाशन करना।	दिनांक-04.05.2023
3	चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदन।	दिनांक-08.05.2023
4	चयन सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण कर नियोजन सूची का प्रकाशन।	दिनांक-09.05.2023 से दिनांक-15.05.2023 तक
5	नियोजन पत्र का वितरण, शपथ-ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला।	दिनांक-18.05.2023

अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी
महाराजगंज

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।